न्यायालयः—प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, इंदौर (म.प्र.)

(समक्ष—डॉ. अकबर शेख)

जमानत आवेदन क्र. 4247/2025

Filing No. BA/59129/2025

CNR No.MP 0901-069422-2025

आरक्षी केन्द्र लोकायुक्त, इंदौर का अपराध क्र. 543/2014

1. अजय हार्डिया पिता मदनलाल हार्डिया,
आयु—58 वर्ष, व्यवसाय—व्यापार,
निवासी—1, आनंद नगर, इंदौर (म.प्र.)

2. श्रीमती पुष्पा वर्मा पति स्व. राजेश वर्मा,
आयु—70 वर्ष, निवासी—ऊषा नगर एक्सटेंशन,
इंदौर (म.प्र.)

—आवेदकगण/अभियुक्तगण

वि रु द्ध

म.प्र. राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र,
लोकायुक्त इकाई इंदौर (म.प्र.)

—— अनावेदक/राज्य

दिनाँक—11.11.2025

आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से श्री श्रेयांश जैन, अधिवक्ता उपस्थित।
लोकायुक्त, इंदौर द्वारा श्री आशीष खरे, विशेष लोक अभियोजक उपस्थित।
प्रकरण अग्रिम जमानत आवेदन पत्र पर तर्क हेतु नियत है।
अग्रिम जमानत आवेदन पत्र पर तर्क श्रवण किये गये।
प्रश्नगत अपराध से संबंधित विवरण निम्नानुसार है:—

1. एफ.आई.आर. नंबर—543/2014
2. एफ.आई.आर. दर्ज करने की दिनांक—23.12.2014
3. आरोपीगण को गिरफ्तार करने की तारीख—गिरफ्तार नहीं।
4. अभियोग पत्र पेश होने की तारीख—पेश नहीं।
5. अभियुक्तगण का आपराधिक रिकॉर्डः—

क.	अभियुक्त का नाम	पिता का नाम	थाना	अपराध क.	धारा
निरंक					

आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से यह जमानत आवेदन पत्र प्रथम अग्रिम जमानत आवेदन पत्र होना व्यक्त किया गया है, जिसके संबंध में आवेदकगण/अभियुक्तगण के पृथक—पृथक शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये हैं।

आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से यह जमानत आवेदन पत्र इस

आधार पर प्रस्तुत किया है कि आवेदकगण/आरोपीगण निर्दोष हैं, उन्होंने कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट वर्ष 2014 में दर्ज की गयी थी तथा लगभग 11 वर्षों से अनुसंधान जारी है। आवेदकगण/अभियुक्तगण ने असल दस्तावेज उपलब्ध कराकर अनुसंधान में पूर्ण सहयोग किया है तथा जब भी उन्हें पुलिस द्वारा पूछताछ हेतु बुलाया गया है, वे उपस्थित रहे हैं। प्रकरण वर्ष 2011–12 का होकर पुलिस द्वारा सभी साक्ष्य रिकॉर्ड पर ले लिये गये हैं, उनकी प्रकरण में कोई आवश्यकता नहीं है। उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार रिकवरी राशि संबंधित प्राधिकारी के समक्ष जमा की जा चुकी है। आवेदकगण/आरोपीगण द्वारा नोटिस दिनांक 08.11.2022 की रिकवरी राशि 1,59,60,110/–रूपये के नोटिस के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट पिटीशन क. 27232/2022 दायर की गयी थी, जिस पर प्रथमदृष्ट्या आवेदकगण/अभियुक्तगण के पक्ष में अंतरिम आदेश दिनांक 25.11.2022 को पारित करते हुए उन्हें 5 लाख रूपये जमा करने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त आदेश के पालन में आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा कलेक्टर, इंदौर के समक्ष 5 लाख रूपये की बैंक गारंटी प्रस्तुत की गयी थी। इसी शैक्षणिक सत्र के संबंध में अनावेदक द्वारा विभिन्न कॉलेज के मालिकों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करायी गयी थी, जिनमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपराध क. 18/2014 में आरोपी मनीष शर्मा को एमसीआरसी क. 36056/2021 आदेश दिनांक 27.07.2021, अपराध क. 18/2014 में डॉ. रामअचल यावद को एमसीआरसी क. 38420/2021 आदेश दिनांक 16.08.2021, अपराध क. 467/2014 में कविता कासलीवाल को एमसीआरसी क. 11237/2022 आदेश दिनांक 04.03.2022 को जमानत का लाभ प्रदान किया गया है। आवेदकगण/अभियुक्तगण का कृत्य भी जमानत का लाभ प्राप्त अभियुक्तगण के समान होने से वे भी जमानत प्राप्त करने के हकदार हैं। वे न्यायालय द्वारा आदेशित समस्त शर्तों का पालन करने हेतु तत्पर हैं। अतः आवेदकगण/अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर मुक्त किये जाने का निवेदन किया गया है। आवेदन पत्र के साथ फेहरिस्त सूची अनुसार दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं।

आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से आवेदन पत्र में उल्लेखित तथ्यों को विस्तृत रूप से तर्क के दौरान व्यक्त किया।

अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्री आशीष खरे द्वारा विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त कार्यालय इंदौर द्वारा जमानत आवेदन के विरोध में प्रस्तुत प्रतिवेदन के तथ्यों को व्यक्त करते हुए तर्क के दौरान यह व्यक्त किया है कि अभियुक्तगण जमानत पर मुक्त होने के पश्चात् साक्ष्य को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे प्रकरण पर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना

है। अतः अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

तर्कों के समर्थन में आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से अधिवक्ता द्वारा श्रीमती सलमा शेख एवं अन्य विरूद्ध म.प्र. राज्य तर्फे विपुस्था लोकायुक्त इंदौर एमसीआरसी क. 34911/2023 आदेश दिनांक 17.08.2023, सिद्धार्थ वि. स्टेट ऑफ यूपी एवं अन्य क्रिमिनल अपील क. 838/2021 सुप्रीम कोर्ट, अब्राहम जॉर्ज एवं अन्य विरूद्ध सीरियस फ्रॉड एन्वेस्टिगेशन ऑफिस 2024 एससीसी ऑनलाइन देलही 1595, संजीव अग्रवाल विरूद्ध म.प्र. राज्य एवं किशोर कुमार सरवटे वि. म.प्र. राज्य 2021 एससीसी ऑनलाइन एमपी 4216 की इंटरनेट की प्रतियां प्रस्तुत की गयी हैं।

केस डायरी एवं प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया।

केस डायरी के अनुसार प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध सूत्र सूचना से जानकारी प्राप्त होने पर उसकी तस्दीक उपरान्त आवेदकगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध वर्ष 2011–12 में आदिम जाति कल्याण विभाग, इंदौर के आरोपी शिक्षण संस्था के संचालक/प्राचार्य के पद पर रहते हुए आदिम जाति विभाग, इंदौर के अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा आपराधिक षड्यंत्र में संगनमत होकर कुछ छात्रों के प्रवेश फार्म भरवाये बगैर, कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर छात्रवृत्ति स्वीकृत एवं वितरण कर, पदीय कर्तव्यों का दुरूपयोग कर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के 659 छात्र–छात्राओं की स्वीकृत छात्रवृत्ति राशि 1,49,93,920/–रूपये की शासकीय राशि का दुर्विनियोग किये जाने के आधार पर अपराध क. 543/2014 अन्तर्गत धारा 13(1)डी, 13(2) पी.सी. एक्ट एवं धारा 420, 467, 468, 471, 406 एवं 120बी भादसं के अन्तर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। केस डायरी के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रकरण में अन्वेषण के दौरान आवेदकगण को अभिरक्षा में नहीं लिया गया है तथा आवेदकगण को अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर न्यायालय में उपस्थित रहने हेतु सूचना पत्र तामील कराया जा चुका है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण को न्यायिक अभिरक्षा में अथवा पुलिस अभिरक्षा में रखा जाकर अन्वेषण किया जाना शेष नहीं है। प्रश्नगत प्रकरण में यह तथ्य भी आवेदकगण की ओर से स्पष्ट किया गया है कि छात्रवृत्ति की राशि के गबन संबंधी सूचना पत्र प्राप्त होने पर माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर के समक्ष प्रस्तुत रिट याचिका क. 27232/2022 प्रस्तुत की गयी थी, जिसमें 5 लाख रूपये की बैंक गारंटी प्रस्तुत करने पर शेष राशि की वसूली के संबंध में स्थगन आदेश जारी किया जा चुका है। आवेदकगण की उक्त याचिका माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय की खण्डपीठ जबलपुर में स्थानांतरित होकर लंबित है।

प्रश्नगत प्रकरण में अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्वेषण पूर्ण होकर मात्र अभियोग पत्र प्रस्तुत किया जाना है। प्रश्नगत प्रकरण वर्ष 2012 से अन्वेषणाधीन होकर लगभग 13 वर्ष पश्चात् अभियोग पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्वेषण सहायता नहीं किये जाने का कोई आक्षेप नहीं है। प्रश्नगत प्रकरण में आक्षेपित राशि के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में प्रकरण विचारधीन है, अन्वेषण के दौरान अभियुक्तगण को गिरफ्तार नहीं किये जाने, अन्वेषण के दौरान अभियुक्तगण द्वारा अन्वेषण में अवरोध उत्पन्न नहीं किये जाने आदि तथ्यों को विचार में लेने के पश्चात् आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार करने योग्य होने से स्वीकार कर आदेशित किया जाता है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण को गिरफ्तार किये जाने की दशा में गिरफ्तार करने वाले अधिकारी की संतुष्टि योग्य 50,000–50,000/–रूपये की प्रतिभूति एवं इतनी ही राशि का स्वयं का पृथक–पृथक बंधपत्र प्रस्तुत किये जाने पर उन्हें प्रतिभूति पर निम्न शर्तों के अधीन उन्मुक्त किया जावे–

1. आवेदकगण/अभियुक्तगण अभियोग पत्र प्रस्तुत किये जाने पर विचारण न्यायालय द्वारा नियत किये जाने वाले प्रत्येक तिथि पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेंगे,
2. विचारण के दौरान प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अभियोजन को साक्षियों को प्रभावित नहीं करेंगे,
3. यदि आवेदकगण/अभियुक्तगण इस प्रतिभूति अवधि में इसी प्रकृति के किसी अन्य आपराधिक प्रकरण में संयोजित पाये जाते हैं तो इस अग्रिम प्रतिभूति आदेश में प्रदत्त लाभ निरस्त किये जाने योग्य होगा,
4. आवेदकगण/अभियुक्तगण न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत की सीमाओं को नहीं छोड़ेंगे,

तो उन्हें जमानत पर मुक्त किया जाए।

आदेश की प्रति सहित केस डायरी वापस की जाये।

परिणाम दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार में जमा हो।

सही/–
(डॉ. अकबर शेख)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश इंदौर (म.प्र.)

प्रतिलिपि :–

1. आरक्षी केन्द्र, विपुस्था लोकायुक्त कार्यालय इकाई इंदौर की केस डायरी आदेश की प्रति सहित प्रेषित।

(डॉ. अकबर शेख)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश इंदौर (म.प्र.)

डॉ. अकबर शेख
प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश,
इन्दौर (म.प्र.)